

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/()/10/1278

दिनांक 25-08-10

आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 6.8.10 को हुई द्वितीय काउंसलिंग में निम्नलिखित नर्स-2 का राजकीय कॉलेज आफ नर्सिंग जयपुर में सत्र 2010-11 हेतु दो वर्षीय पोस्ट बेसिक बी०एस०सी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है।

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान
1	प्रमोद बिजारणियां	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
2	विजयलक्ष्मी शर्मा	एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
3	श्यामलाल देवडा	महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर
4	कृष्णा सास्त्या	जिला अस्प०रामपुरा कोटा
5	रामनिवास रणवा	खंड मु० चि० अ० कुचामनसिटी नागौर
6	श्रीकान्त सोनी	पीएचसी जिलिया, नागौर
7	भगवत चरण सैनी	सीएचसी सूरजगढ झुंझुनू
8	शाहबानो	मथुरादास माथुर चिकि० जोधपुर
9	विक्रम सिंह यादव, लैब०टैक० पातेय वेतन नर्स-2	पीएचसी सोहली, झुंझुनू
10	भावना पण्डित	मथुरादास माथुर चिकि० जोधपुर
11	श्रीराम गोदारा	पीबीएम चिकि० बीकानेर
12	ललिता बाई	जनाना चिकित्सालय जयपुर
13	पिंकी सोनी	जनाना चिकित्सालय जयपुर
14	साली पी०ए	एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर
15	आभा मित्तल	महिला चिकित्सालय, जयपुर
16	मदनलाल मीणा	एसएमएस हॉ० जयपुर
17	निशा	मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर
18	प्रेमशंकर मीणा	सीएचसी श्रीमोहनगढ, जैसलमेर
19	भंवरलाल कोली	सा०चि० सवाई माधोपुर
20	हिम्मत राम पारगी	सा०चि० बाडमेर
21	भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा	सा०चि० सवाई माधोपुर

इन कर्मियों के आवेदन निम्न शर्तों के अध्याधीन अग्रेषित किये गये थे-

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
2. उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
3. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरंत विभाग में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति, वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी। -

इन कर्मियों को प्रशिक्षण में उपस्थिति देने की तिथि पूर्व में 16.8.10 थी, जो 26.8.10 तक बढ़ाई गई है। अतः सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शर्तों के अतिरिक्त प्रशिक्षण अध्ययन अवकाश पर किये जाने एवं भविष्य में प्रशिक्षण प्रतिनियुक्ति पर कराये जाने की मांग नहीं करने के सम्बन्ध में प्रार्थना प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को ही इस प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें तथा इस प्रशिक्षण हेतु आरपीसीएससी से चयनित उन्हीं कर्मियों को कार्यमुक्त करें जिन्हें, निदेशालय द्वारा स्थाई किया जा चुका है।

उक्त आदेश राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 5(31) चिकि.स्वा./ग्रुप-3/10 दिनांक 28.7.10 की अनुपालना में जारी किये जा रहे है।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/()/10/1278

दिनांक 25-08-11

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज0 जयपुर
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा/बीकानेर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर/महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर/पीबीएम हॉस्पी0बीकानेर/मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर/जनाना/महिला चिकित्सालय, जयपुर
6. प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सा0 चि0 सवाई माधोपुर/सा0चि0 बाडमेर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर/झुंझुनू/जैसलमेर/कोटा।
9. खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुचामन सिटी, नागौर।
10. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जिला अस्पताल रामपुरा कोटा।/सीएचसी श्रीमोहनगढ, जैसलमेर/पीएचसी जिलिया, नागौर/सीएचसी सूरजगढ, झुंझुनू/पीएचसी सोहली, झुंझुनू।
11. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय साईट पर प्रकाशित करें
13. आदेश/निजि पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर